07-01-2021

'नेशनल यूथ पार्लियामेंट'के 'यूथ पार्लियामेंट-बजट सेशन के ऑनलाइन आयोजन में उद्बोधन

- 'नेशनल यूथ पार्लियामेंट' के 'यूथ पार्लियामेंट-बजट सेशन' के इस कार्यक्रम के आयोजकों तथा प्रतिभागियों का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। आप सब आने वाले दो दिनों में भारतीय संसदीय प्रक्रिया विशेष रूप से बजट प्रक्रिया को निकट से देखेंगे और समझेंगे। यह युवा साथियों के लिए एक रोचक, ज्ञानवर्धक अनुभव होने वाला है।
- ऐसे कार्यक्रम देश की युवा पीढ़ी को संसदीय प्रक्रियाओं से जोड़ने में सहायता करते हैं। इस नजरिए से आपकी संस्था का यह प्रयास सराहनीय है।
- साथियों, लंबे संघर्षों और असंख्य बलिदानों के बाद हमें स्वराज मिला। स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान बलिदान देने में युवा सबसे आगे थे।
- आजादी मिलने के बाद हमारे नेताओं ने देश के लिए एक ऐसे प्रगतिशील तथा आधुनिक संविधान का निर्माण किया जिसमें नागरिकों के लिए सार्वभौमिक मताधिकार, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों जैसे प्रावधान किये गए, जिन्होंने देश के नागरिकों के सर्वांगीण उत्थान का प्रयास किया।
- संवैधानिक प्रावधानों ने देश में लोकतान्त्रिक व्यवस्था को फिर से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मुझे यह कहते हुए गर्व है कि पिछले 70 वर्षों में लोकतान्त्रिक संस्थाएं एवं परम्पराएं सशक्त हुई हैं।
- यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक हुए 17 आम चुनावों और 350 से भी अधिक विधान सभा चुनावों में निरंतर बढ़ते गए मतदान प्रतिशत से भी परिलक्षित होता है। इससे भी सुखद यह है कि सत्ता हस्तांतरण हमेशा बिना किसी अस्थिरता या व्यवधान के हुआ है। यह हमारे लोकतंत्र के सशक्त होने का प्रमाण है।
- मेरे युवा साथियों, लोकतंत्र को पा लेना ही काफी नहीं है। लोकतंत्र को सशक्त बनाये रखना तथा इसे और बेहतर बनाना एक सतत् प्रक्रिया है।
- इसके लिए आवश्यक है कि देश के सभी नागरिक, विशेषकर युवा पीढ़ी संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों से परिचित हों। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2015, जो कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का 125वां जन्म जयंती वर्ष भी था, से 26 नवम्बर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मानना आरम्भ किया।
- पिछले वर्ष के संविधान दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को संविधान से जोड़ने के नवीन पहल के तहत बैंकिंग प्रणाली के एक प्रचलित शब्द KYC को नया अर्थ दिया Know Your Constitution (नो योर कॉन्स्टिटूशन)। ऐसे में यह हम सबका दायित्व है कि अपने संविधान की विशेषताओं को जानें और उन्हें आत्मसात करें।
- संविधान एवं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा तभी हो सकती है जब हम विशेषकर युवा पीढ़ी संवैधानिक प्रक्रियाओं और प्रावधानों से अवगत हों।

- लोकतान्त्रिक प्रणाली और लोकतान्त्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए नई पीढ़ी में Democratic Values के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करना होगा। उन्हें Democratic संस्थाओं, प्रक्रियाओं और पद्धतियों से अवगत कराना होगा।
- संविधान और संसद लोकतंत्र के आधारभूत स्तम्भ हैं। ऐसे में संसदीय प्रक्रियाओं और परम्पराओं का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है।
- आप सबका इस आयोजन में शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि आप लोकतंत्र और संसदीय प्रक्रियाओं में रुचि रखते हैं।
- साथियो, संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना Dialogue, Debate और discussion है। लोकतंत्र शासन की एक प्रणाली है। लोकतंत्र decision-making का एक समावेशी तरीक़ा है। लोकतंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का दूसरा नाम है। लोकतंत्र बहुमत के साथ साथ सर्वमत और जनमत का शासन है और संसद इस जनमत की मुखर अभिव्यक्ति है। संसद ही वह संस्था है जो लोकतंत्र को आकार और गति देती है। संसद लोकतंत्र की आत्मा है।
- लोकतंत्र वस्तुतः बहुमत का अल्पमत के ऊपर शासन नहीं है। बल्कि इसकी खासियत यह है कि इसमें सभी stakeholders को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। सभी की बात सुनी जाती है और सबके view-point को decision-making में जगह दी जाती है।
- इससे भी बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में असहमति का भी अधिकार होता है । इसलिए हमें विरोधी विचारों और असहमतियों को भी धैर्य से सुनना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए । इसी भावना और इन्हीं मूल्यों पर संसदीय लोकतंत्र की सफलता टिकी होती है।
- मेरे युवा साथियों, पूरा विश्व अभी कोरोना महामारी के संकट का सामना कर रहा है। परन्तु भारत में समय रहते इसे नियंत्रित करने के लिए निर्णायक कदम उठाये गए, लोकतान्त्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार ने दूरदर्शिता और पारदर्शिता के साथ एक्शन प्लान बनाया और जन समर्थन से उसका क्रियान्वयन किया। लोकतंत्र ही हमें ऐसी शक्ति देता है।
- सरकारी मशीनरी चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बजट सत्र के द्वारा सरकार और उसकी एजेंसियों की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत संसद के समक्ष 'वार्षिक वित्तीय विवरण' प्रस्तुत किया जाता है जिसे आम बोल चाल की भाषा में बजट कहते हैं।
- 'बजट' वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों व खर्चों का विवरण मात्र नहीं होता है बल्कि यह उस वित्त वर्ष के लिए सरकार की नीतियों तथा किन क्षेत्रों पर उसका अधिक ध्यान है इसको भी उजागर करता है।
- बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र होता है इसलिए इसका आरम्भ माननीय राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण से होता है।
- आम तौर पर बजट सत्र जनवरी माह के अंत में शुरू होता है और अप्रैल माह तक चलता है। बजट सत्र के दोनों भागों के बीच लगभग तीन सप्ताह का अंतराल होता है जिसमे संसदीय समितियां प्रत्येक विभाग की अनुदान मांगों की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट सदन के समक्ष रखती है। यह प्रक्रिया संसद के वित्तीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण भाग है।

- सदन में बजट पर विचार एवं मतदान के दौरान माननीय सदस्य अपनी असहमति कटौती प्रस्तावों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। प्रथा के अनुसार प्रति वर्ष कुछ मंत्रालयों की अनुदान मांगों की चर्चा सदन में भी होती है। जब इन मंत्रालयों की चर्चा समाप्त हो जाती है तो शेष सभी मंत्रालयों की अनुदान मांगों को गिलोटिन प्रक्रिया के द्वारा एक साथ सदन के विचार एवं मतदान के लिए रखा जाता है।
- इस प्रकार बजट की पूरी प्रक्रिया एक ओर जहां सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है वहीं देश के आर्थिक विकास के पहिए को भी गति प्रदान करती है।
- आज आपकी यूथ संसद का बजट सत्र है। आप सब यहां लोक सभा की ही भांति केन्द्रीय बजट 2021 प्रस्तुत करने वाले हैं। आपने विभागों और मंत्रालयों का बंटवारा कर रखा है। संसद में अपने प्रस्ताव रखने के बाद आप उस पर चर्चा करेंगे तथा प्रश्न भी पूछेंगे। मंत्री महोदय अपनी बजट का तर्कसंगत स्पष्टीकरण देंगे और अंत में वित्त मंत्री का भाषण होगा जो सभी मंत्रालयों की मांगों को सुनने के बाद अपनी राय रखेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप सभी को बहुत कुछ देखने, समझने और सीखने का अवसर मिलेगा।
- दोस्तों, हमारा देश युवा देश है जिसकी आबादी का 50 प्रतिशत हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु का है। संविधान के इकसठवें (61वें) संशोधन द्वारा 1988 में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी।
- हमारे लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका बढ़ रही है। युवाओं की ऊर्जा का संसदीय लोकतंत्र में सही उपयोग करने के लिए उनमें लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना आवश्यक है।
- एक युवा हर प्रश्न, हर समस्या, हर मुद्दे पर खुले दिमाग से, नए ढंग से सोच-विचार सकता है और नवाचारों के माध्यम से समस्याओं का हल दे सकता है। इसलिए हर देश को अपनी सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक प्रक्रियाओं और decision-making में युवाओं को शामिल करना चाहिए। लेकिन इन सबके लिए यह भी जरूरी है कि युवाओं को सही शिक्षण, प्रशिक्षण देकर उन्हें हर मुद्दे पर creative ढंग से सोचना सिखाया जाए।
- मैं आशा करता हूँ कि इस आयोजन के जरिए आप सभी यह समझ पाएँगे कि लोकतंत्र के भीतर शासन और प्रशासन में संसद की क्या भूमिका है, संसद कैसे इस भूमिका का निर्वाह करती है तथा एक सांसद के दायित्व और जवाबदेही क्या होते हैं?
- मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा करके एक दूसरे को समृद्ध करेंगे। मेरी कामना है कि यह आयोजन आपको भविष्य में बेहतर leadership के लिए जरूरी कौशल और विचार शक्ति विकसित करने में सहायता करेगा।
- मैं आपके सभी प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं और आयोजकों को बधाई देता हूं। धन्यवाद।